जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शेरकोट **दिनांक- 12.06.2024**

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0स0 133/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.06.2024 को वादी राहुल पुत्र अमीचन्द निवासी मौहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 11.06.2024 को वादी के साथ उसके छोटे भाई प्रकाश ने गाली गलौच की व फूकनी से सिर पर वार किया , जिससे वह घायल हो गया व वादी के पिता अमीचन्द,माता सुनीता देवी ने वादी के साथ मारपीट की तथा फूफा वीरेन्द्र सिंह पुत्र नामालूम निवासी मौहल्ला लक्ष्मी नगर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0स0 133/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि बनाम प्रकाश , अमीचन्द , सुनीता देवी व वीरेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0स0 133/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रकाश पुत्र अमीचन्द निवासी मौहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रकाश पुत्र अमीचन्द निवासी मौहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.हे0का0 250 रवि कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.का0 2082 बिन्टू कन्दौल थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली देहात दिनांक-12.06.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 125/2024 धारा 307/323/427 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.06.2024 को वादी श्री अंकित कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिंह निवासी ग्राम शादीपुर थाना कोतवली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों पीयूष चौधरी पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी नाँगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वादी के ऊपर जाने से मारने के नियत से तमन्चें से फायर किया तथा वादी के मोबाइल व बाइक को क्षतिग्रस्त कर तमन्चें की बट से वार कर घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 125/2024 धारा 307/323/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 125/2024 धारा 307/323/427 भादवि में वांछित अभियुक्त पीयूष चौधरी पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नाँगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पीयूष चौधरी पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नाँगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 644 हिमांशू शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 665 अंकुरमान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
4. का0 2024 मुक्कमिल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना रेहड़ **दिनांक- 12.06.2024**

थाना रेहड़ पुलिस ने मु0अ0सं0 71/2024 धारा 504/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11/06/2024 को वादिनी लखवीर कौर पत्नी धर्मसिंह निवासी ग्राम नवाबाद जयसिंहजोत थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ने थाना रेहड़ पर तहरीर दी कि अभियुक्त विपिन पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम बल्लीपुर खुर्द थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी ने नशे में वादिनी के घर के दरवाजे के सामने गाली गलौच की व वादिनी के पति धर्मसिंह के मना करने पर उनके ऊपर जान से मारने की नियत से दराती से वार किया , जिससे वह घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 71/2024 धारा 504/307 भादवि बनाम विपिन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2024 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 71/2024 धारा 504/307 भादवि में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम बल्लीपुर खुर्द थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी को घटना में प्रयुक्त दराती सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विपिन पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम बल्लीपुर खुर्द थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी

बरामदगीः-

घटना में प्रयुक्त दराती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री य़शपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
2. का0 333 ललित कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
3. का0 1397 सतेन्द्र कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 12.06.2024

थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत सडक दुर्घटना में पिता – पुत्री की दुःखद मृत्यु हो जाने के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 12.06.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत बिजनौर - कोतवाली देहात मार्ग पर बरुकी के निकट मोटरसाइकिल सवार मौ0 साकिर पुत्र मौ0 युसुफ निवासी मौ0 शेख सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर अपनी करीब 04 वर्षीय पुत्री के साथ जा रहा था कि कोतवाली देहात की तरफ से आ रही डीसीएम रजि0 सं0 DL1ALD7248 के चालक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें दोनो पिता-पुत्री गम्भीर रुप से घायल हो गये। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा दोनो को मृत घोषित कर दिया गया। डीसीएम चालक गाडी सहित पुलिस हिरासत में है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 12.06.2024**

थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत सगी माँ द्वारा अपने 04 वर्षीय पुत्र की हत्या कर शव को जला दिये जाने के सम्बंध में स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी माँ को पुलिस हिरासत में लेकर की जा रही वैधानिक कार्यवाही के सम्बंध में।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 12.06.2024 को समय प्रातः करीब 10.00 बजे थाना हीमपुर दीपा पर डायल – 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जलालपुर हसना में एक सगी माँ ने अपने करीब 04 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर शव को आग से जला दिया है। सूचना पर पीआरवी व स्थानीय पुलिस द्वारा फोरेन्सिक टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है।

घटना के सम्बंध में मृतक बच्चे के पिता / वादी श्री कपिल कुमार पुत्र संसार सिंह निवासी ग्राम जलालपुर हसना भूड थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 88/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम आदेश देवी उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्ता आदेश देवी (मृतक की माँ) पत्नी कपिल कुमार निवासी जलालपुर हसना भूड थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्ता का नाम व पता –

आदेश देवी पत्नी कपिल कुमार निवासी ग्राम जलालपुर हसना भूड थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 श्री कर्मवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री शेर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. कां0 2381 पिन्टू थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. कां0 2571 सुमित थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5. म0कां0 2413 शिवानी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर